बिहार राज्य व अन्य

बनाम

बिहार राज्य उच्च माध्यमिक व्याख्याता संघ व अन्य।

15 मई, 2007

[न्यायमूर्ति श्री सी. के. ठाकर और तारून चटर्जी]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14,136 और 142-स्कूलों में अप्रशिक्षित व्याख्याताओं की नियुक्ति-राज्य द्वारा फिटमेंट समिति की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए उच्च वेतनमान तथा अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए कम वेतनमान तय करना-प्रशिक्षण के आधार पर वर्गीकरण को चुनौती देने वाली अप्रशिक्षित व्याख्याताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका-फिटमेंट अपीलीय समिति ने समान वेतनमान की सिफारिश की-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति देते हुए प्रशिक्षण के आधार पर वर्गीकरण की अनुमति दी-संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, हालांकि, तथ्यों पर, विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, समान वेतनमान प्रदान किए जाते हैं।

प्रत्यर्थी-संघ के सदस्य, जो योग्य स्नातकोत्तर थे लेकिन अप्रशिक्षित थे, अपीलार्थियों द्वारा एक विशेष् वेतनमान के विज्ञापन के अनुसरण में स्कूलों में व्याख्याताओं के रूप में नियुक्त किए गए थे। राज्य द्वारा नियुक्त एक फिटमेंट समिति ने प्रशिक्षित और गैर-प्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए

अलग-अलग वेतनमानों की सिफारिश की, जिसे राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया। प्रत्यर्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिस में प्रशिक्षण के आधार पर वर्गीकरण को चुनौती दी गई। वेतनमान में विसंगतियों पर गौर करने के लिए गठित एक फिटमेंट अपीलीय समिति ने प्रशिक्षित और गैर-प्रशिक्षित व्याख्याताओं को समान वेतनमान के भुगतान की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि, राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर है और वेतनमान में अंतर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपील में, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने राज्य को प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को समान वेतनमान देने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याता और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ऐसा वर्गीकरण तर्कसंगत व उचित है; कि विभिन्न वेतनमानों के निर्धारण को मनमाना या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है; कि एक समान वेतनमान प्रदान करने के लिए फिटमेंट अपीलीय समिति का निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था; विज्ञापन में वेतनमान का उल्लेख नही करना यह सभी व्याख्याताओं को समान वेतनमान प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता है।

प्रत्यर्थी-संगठन ने तर्क दिया कि प्रशिक्षण के आधार पर किया गया वर्गीकरण कृत्रिम, तर्क रहित व मनमाना है। राज्य ने अभिव्यक्त रूप से कहा था कि यह फिटमेंट अपीलीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगा; कि जब समिति ने समान वेतनमान की सिफारिश की, तो राज्य के लिए समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के लिए विकल्प खुला नहीं है; कि अप्रशिक्षित शिक्षक समान कार्य कर रहे थे; कि अपीलीय समिति की रिपोर्ट के बाद, राज्य द्वारा अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के प्रशिक्षण हेतु भेजने का आदेश प्रत्याहरित किया गया और इस आधार पर आगे कायर्वाही की गई कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच कोई अंतर नही है।

न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया :-

1.1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। यह व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को समान व्यवहार से वंचित करने से राज्य को प्रतिबंधित करता है, बशर्ते वे समान हों। हालांकि यह वर्गीकरण को निषिद नही करता है। दूसरे शब्दों मे कहा जायें तो अनुच्छेद भेद-भाव को निषिद करता है वर्गीकरण को नही यदि एेसा वर्गीकरण कानूनी, वैध और उचित है। कानूनी और वैध वर्गीकरण शैक्षिक योग्यता पर आधारित हो सकता है । [पारस 11 और 17] [637-सी-डी [

1.2. वेतनमान निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वेतनमान निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर वैध और उचित है। प्रशिक्षण का महत्व नजरअंदाज नही किया जा सकता या कमतर नही आंका जा सकता है। [पैरा 25] [641-जी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, [1952] एससीआर 284 (सीबी); पूर्व सैनिकों का परिसंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।,[2006] 8 एस. सी. सी. 399 (सी. बी.); अरुण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।, [2007] 1 एससीसी 732 ; जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसला और अन्य।,[1974] 1 एससीसी 19 ; श्याम बाबू वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।, [1994] 2 एससीसी 521; यू. पी. राज्य चीनी निगम व अन्य बनाम संत राज सिंह, [2006] 9 एससीसी 82 तथा उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम बलराम साहू, [2000] 3 एस. सी. सी. 250, का संदर्भ दिया गया।

1.3. एक प्रशिक्षित व्याख्याता और अप्रशिक्षित व्याख्याता के बीच स्पष्ट अंतर है। इस तरह का अन्तर कानूनी, वैध, तर्कसंगत और उचित है। प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं की परिस्थितियों एवं वर्ग को समान नही कहा जा सकता। वर्गीकरण उचित है तथा बोधगम्य अन्तर पर आधारित है जो इसमें शामिल एक वर्ग (प्रशिक्षित) को

दूसरे वर्ग (अप्रशिक्षित) से अलग करता है जिसको त्याग दिया गया है। इस तरह के वर्गीकरण या अन्तर का, अभिपराप्त किये जाने हेतु आशयित उद्देश्य यथा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत धुरी अथवा उचित संबंध है। इसलिए, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एक ओर प्रशिक्षित व्याख्याताओं और दूसरी ओर अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान तय नहीं किए जा सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न वेतनमान निर्धारित करने को, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारक, अवैध, अनुचित या अयुक्तियुक्त नहीं माना जा सकता है। (पैरा 32] [643-एच; 644-ए, बी, सी)

आंध्र केसरी एजुकेशनल सोसाइटी बनाम निदेशक, विद्यालय शिक्षा व अन्य।, [1989] 1 एस. सी. सी. 392; राम सुख और अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।, [1989] पूरक 2 एस. सी. सी. 189 तथा एल. मुथुकुमार व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य ।, [2000] 7 एस. सी. सी. 618, क संदर्भ दिया गया।

1.4. विज्ञापन में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता तक सीमित थी और इसका वेतनमान तय करने से कोई लेना-देना नहीं था। फिटमेंट अपीलीय समिति का दृष्टिकोण कानून के अनुरूप नहीं था। यदि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर है और यदि ऐसा वर्गीकरण उचित और तर्कसंगत है, तो प्रशिक्षित

और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है तथा अपीलीय समिति के लिए फिटमेंट समिति और राज्य सरकार द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न मत रखने का कोई कारण नहीं था। विज्ञापन को पात्रता मानदंड के रूप में पढ़ा जा सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। विज्ञापन को इस तरह से पढ़ने से, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान तय करने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ सेवा में अनियंत्रित व्याख्याताओं की नियुक्ति और उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता था। [पारस 33 और 40] [644-ई; 646-सी, डी]

1.5. तथापि, इस न्यायालय की विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 सपठित अनुच्छेद 142 के तहत, अपील की अनुमति मुख्य रूप से दो कारणों से नहीं दी गई। प्रथमतः, जब राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपीलीय फिटमेंट समिति की नियुक्ति की गई थी और इस मामले को प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के वेतनमान में विसंगति के संबंध में भेजा गया था, तो संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगी और समिति ने प्रशिक्षित और साथ ही अप्रशिक्षित शिक्षकों को समान वेतनमान के भुगतान की सिफारिश की थी। द्वितीयतः अप्रशिक्षित व्याख्याता संघ (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा दायर जवाबी हलफनामा में यह

कहा गया था कि फिटमेंट अपीलीय समिति की रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार ने अप्रशिक्षित व्याख्याताओं (सेवारत अभ्यर्थी) को प्रशिक्षण हेतु भेजने के अपने पूर्व के आदेश को इस आधा्र पर वापस ले लिया कि समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं था और जबकि प्रशिक्षित व साथ ही अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को एक समान वेतनमान दिया जाना था।

[पारस 41,42 और 43] [646-एफ, जी, एच; 647-ए, बी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील की सं. 2519/2007

पटना उच्च न्यायालय, के एल. पी. ए. सं. 323/2004 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2004 से उत्पन्न ।

अपीलार्थियों की ओर से गोपाल सिंह, अंकुल राज और ऋतुराज बिस्वास।

के. के. राय, वरिष्ठ अधिवक्ता।, एस. एन. पाठक, कृष्णानंद पांडे और एस. के. पांडे प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायमूर्ति श्री सी. के. ठाकर द्वारा न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 22 मार्च, 2004 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसे 2004 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 323 में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था। उक्त आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के संघ द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार किया और उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार प्रकरण संख्या 7224/1999 में पारित 28 जनवरी, 2004 के आदेश को रद्द कर दिया गया।

3. वर्तमान अपील में उठाए गए विवाद का मूल्यांकन करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है:

4. अपीलकर्ताओं द्वारा 1987 का विज्ञापन संख्या 1 जारी किया गया था, जिसमें सरकारी स्कूलों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत स्कूलों में 940-1660 रुपये के वेतनमान पर माध्यमिक विद्यालयों में +2 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित योग्यता द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री थी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1989 में, प्रतिवादी-संघ के सदस्य, जिनके पास द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री थी, लेकिन जो अप्रशिक्षित थे, का चयन किया गया और उन्हें 940-1660 रुपये के वेतनमान पर राष्ट्रीयकृत स्कूलों में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। पांचवें वेतन आयोग के बाद, 1 जनवरी, 1996 से 940-1660 रुपये के

वेतनमान को संशोधित कर 1640-2900 रुपये कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में, सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलो के अलावा अन्य राष्टीयकृत स्कूलो में सेवारत +2 व्याख्याताओं के वेतनमान में अंतर था। सिविल रिट क्षेत्राधिकार प्रकरण संख्या 2445/1994 में उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद, सभी +2 व्याख्याताओं को उनकी पोस्टिंग की परवाह किए बिना एक समान वेतनमान प्रदान किया गया था। वर्तमान मामले में उठाया गया विवाद प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच वेतनमान के अंतर से संबंधित है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के वेतनमान पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक फिटमेंट कमेटी नियुक्त की गई थी। फिटमेंट कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान की सिफारिश की। राज्य सरकार ने फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए 5000-8000 रुपये तथा प्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए 6500-10500 रुपये वेतनमान तय कर दिया. सरकारी संकल्प 8 फरवरी, 1999 को पारित किया गया और 10 जून, 1999 को एक अधिसूचना जारी की गई।

5. ट्रेनिंग के आधार पर +2 लेक्चरर के दो अलग-अलग वेतनमान तय करने के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी थी. इसलिए, प्रशिक्षण के आधार पर किए गए वर्गीकरण को चुनौती देते हुए एसोसिएशन द्वारा एक

रिट याचिका दायर की गई थी। इसलिए, प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के वेतनमान में विसंगतियों की जांच करने के लिए 15 जनवरी 2000 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा एक फिटमेंट अपीलीय समिति का गठन किया गया था। फिटमेंट अपीलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को एक समान वेतनमान देने की सिफारिश की गई, जिसमें कहा गया कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान मनमाना और अनुचित होगा। हालाँकि, राज्य सरकार ने कहा कि प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर है और वेतनमान में अंतर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

6. रिट याचिका की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार के तर्क को बरकरार रखा और एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर करने और विभिन्न वेतनमान तय करने में, राज्य सरकार ने संविधान के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है और याचिका खारिज किये जाने योग्य थी। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने, जैसा कि पहले देखा गया था, अपील की अनुमति दी, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को समान वेतनमान देने का निर्देश दिया।

डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को राज्य प्राधिकारियों ने विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील में चुनौती दी है।

7. 6 जनवरी 2005 को इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था और पक्ष-प्रतिवादियों को जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर हलफनामा भी दाखिल किया गया। न्यायालय ने रजिस्ट्री को मामले को अंतिम निपटान के लिए रखने का निर्देश दिया और इसी तरह मामला हमारे सामने है। हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

8. राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच यह मानने में पूरी तरह से गलत थी कि प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है और वेतनमान में अंतर मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याता अलग-अलग वर्ग बनाते हैं और ऐसा वर्गीकरण तर्कसंगत और उचित है। इसलिए, विभिन्न वेतनमानों का निर्धारण मनमाना या अतार्किक नहीं कहा जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि फिटमेंट अपीलीय समिति ने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को समान वेतनमान देने की सिफारिश की थी, लेकिन उक्त निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश

रिट याचिका को खारिज करने में सही थे और डिवीजन बेंच को उस आदेश की पुष्टि करनी चाहिए थी। +2 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए अधिकारियों द्वारा जारी विज्ञापन और प्रशिक्षण के बारे में उल्लेख न करने के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि यह नियुक्ति के लिए पात्रता से संबंधित है और इसका वेतनमान से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, अपीलीय समिति उक्त तथ्य पर भरोसा करने और सभी व्याख्याताओं के लिए समान वेतनमान की सिफारिश करने में गलत थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल करके रद्द किया जा सकता है।

9. दूसरी ओर, एसोसिएशन के विद्वान वकील ने डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण पूरी तरह से कृत्रिम, तर्कहीन और मनमाना है। अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को वैध वेतनमान से वंचित नहीं किया जा सकता जिसके उनके समकक्ष (प्रशिक्षित व्याख्याता) हकदार थे। अप्रशिक्षित व्याख्याताओं की वैध शिकायत के कारण ही राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक फिटमेंट अपीलीय समिति का गठन किया गया था। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य सरकार समिति की सिफारिश को स्वीकार करेगी और जब उक्त समिति ने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को एक समान वेतनमान देने की सिफारिश की, तो इसे स्वीकार नहीं करना और लागू

करना राज्य सरकार के लिए खुला नहीं था। उक्त अनुशंसा. अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के संघ द्वारा दायर याचिका को खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय सही नहीं था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अप्रशिक्षित व्याख्याता समान कार्य कर रहे थे और समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। इसके अलावा, अपीलीय समिति की रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार ने अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजने के आदेश को इस आधार पर वापस ले लिया कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और की गई अनुशंसा के मद्देनजर ऐसा कोई प्रशिक्षण आवश्यक नहीं था और प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित व्याख्याता को समान वेतनमान का भुगतान किया जाए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य प्राधिकारी भी इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि जहां तक वेतनमान का संबंध है, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच कोई अंतर नहीं है।इसलिए, डिवीजन बेंच ने अपील की अनुमति देकर सही निर्णय लिया और न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती।

10. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, हमारी राय में, डिवीजन बेंच यह मानने में सही नहीं थी कि प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर मनमाना, तर्कहीन या अन्यथा आपत्तिजनक है।

11. अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है और इसमें कोई विवाद नहीं किया जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करता है। यह राज्य को व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को समान व्यवहार से वंचित करने से रोकता है; बशर्ते कि वे समान हों और समान रूप से स्थित हों। हालाँकि, यह वर्गीकरण की मनाही नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 14 जो निषेध करता है वह भेदभाव है न कि वर्गीकरण, यदि अन्यथा ऐसा वर्गीकरण कानूनी, वैध और उचित है।

12. आधी सदी से भी पहले, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ कोपश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार , 1952 एससीआर 284 केएक प्रसिद्ध फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे और दायरे पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे भेदभावपूर्ण थे और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते थे।

13. विवाद से निपटते हुए, एसआर दास, जे. (तत्कालीन न्यायाधिपति) ने निम्नलिखित शिक्षाप्रद टिप्पणियाँ कीं जिन्हें बाद के कई मामलों में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था;

"यह अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि जबकि अनुच्छेद 14 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेदभावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण कानून के अधीन होने के उद्देश्य से समान रूप से स्थित अन्य लोगों से अलग होने से रोकने के लिए बनाया गया है, यह 'अमूर्त समरूपता' पर जोर नहीं देता है 'इस अर्थ में कि कानून के प्रत्येक भाग का सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए। सभी व्यक्ति, स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से, समान नहीं हैं और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए अक्सर अलग-अलग उपचार की आवश्यकता होती है और इसलिए, सुरक्षा खंड का अर्थ लगाया गया है केवल समान लोगों के बीच भेदभाव के खिलाफ गारंटी के रूप में, न कि राज्य से कानून के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति छीनने के रूप में। यह वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर हो सकता है। यह भौगोलिक या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार हो सकता है। हालाँकि, वर्गीकरण, अनुच्छेद के निषेध को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात, यह केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो सभी में पाए

जाते हैं व्यक्तियों को एक साथ समूहीकृत किया गया है, न कि अन्य लोगों में, जिन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन उन गुणों या विशेषताओं का कानून के उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए। परीक्षण पास करने के लिए, दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्, (1) कि वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो कि दूसरों से एक साथ समूहीकृत किए गए लोगों को अलग करता है, और (2 कि उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार पर अंतर और अधिनियम का उद्देश्य अलग-अलग चीजें हैं और जो आवश्यक है वह यह है कि उनके बीच एक संबंध होना चाहिए। संक्षेप में, जबकि अनुच्छेद प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों या लगाए जाने वाले प्रस्तावित दायित्व के संबंध में समान रूप से स्थित बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुने गए व्यक्तियों पर विशेषाधिकार प्रदान करके या देनदारियां थोपकर अनुचित भेदभाव करने से वर्ग् विधान को प्रतिबंधित करता है। यह कानून के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण उस अर्थ में मनमाना न हो जैसा मैंने अभी समझाया है।"(जोर दिया गया)

14. हाल ही में, पूर्व सैनिक परिसंघ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य , (2006) 8 एससीसी 399, में याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच वर्गीकरण अमान्य, अवैध और अनुचित था। इसी तरह, रक्षा कर्मियों और सिविल कर्मियों के बीच भेदभाव मनमाना और तर्कहीन था। हालाँकि, इस तर्क को इस न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे अलग-अलग वर्ग बनाते हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है।

15. फिर से, अरुण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य , (2007) 1 एससीसी 732, में यह तर्क दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों और कंपनियों, निगमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिसे संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' कहा जा सकता है के कर्मचारियों के बीच वर्गीकरण, स्वरूप मनमाना, काल्पनिक और मनमौजी होगा। लेकिन इस तर्क को इस न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों (सिविल सेवकों) के कर्मचारियों और दूसरी ओर अन्य कर्मचारियों यानी कंपनियों, निगमों या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच अंतर अच्छी तरह से स्थापित और अच्छा परिभाषित है।

16. न्यायिक दृष्टान्त पूर्व सैनिकों के परिसंघ में, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समान सुरक्षा खंड के प्रमुख मामलों पर विचार करने के बाद, पांच-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए, हम में से एक (सीके ठक्कर, जे.) ने कहा:

> "हमारे फैसले में, इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्गीकरण को कानूनी, वैध और अनुज्ञेय होने के लिए, दोहरे परीक्षण को पूरा करना होगा, अर्थात्,
>
> (i) वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो कि एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को अन्य लोगों, जिन्हें छोड़ दिया गया है या छोड़ दिया गया है, से अलग करता है और
>
> (ii) इस तरह के अंतर का संबंधित क़ानून या कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।"

17. एक कानूनी और वैध वर्गीकरण शैक्षिक योग्यता पर आधारित हो सकता है।

18. मैसूर राज्य और अन्य। वी. पी. नरसिंगा राव, (1968) 1 एससीआर 407: एआईआर 1968 एससी 349 में, प्रशिक्षकों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किए गए थे; एक मैट्रिकुलेट ट्रेसर्स के लिए जो

अधिक था, दूसरे गैर-मैट्रिकुलेट ट्रेसर्स के लिए जो कम था। कार्रवाई को वैध, कानूनी और संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं करने वाला माना गया।

19. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा:-

> "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यद्यपि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर रोक लगाता है, लेकिन यह विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। जब किसी भी विवादित नियम या वैधानिक प्रावधान पर इस आधार पर हमला किया जाता है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, यदि दो परीक्षण संतुष्ट हैं तो इसकी वैधता बरकरार रखी जा सकती है। पहला परीक्षण यह है कि जिस वर्गीकरण पर इसे स्थापित किया गया है वह एक समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहित व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है, और दूसरा परीक्षण यह है कि प्रश्न में भिन्नता का नियम का वैधानिक प्रावधान द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ उचित संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण के आधार और क़ानून या

नियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाले इच्छित उद्देश्य वस्तु के बीच कुछ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।"

20. जम्मू और काशीमीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसला और अन्य, (1974) 1 एससीसी 19 में, इस न्यायालय ने शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए वर्गीकरण को बरकरार रखा। डिप्लोमा धारकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा 'डिग्री धारकों' और 'डिप्लोमा धारकों' के बीच जो वर्गीकरण करने की मांग की गई थी, वह अवैध और कृत्रिम थी और डिग्री धारकों को इस तरह का लाभ देते हुए डिप्लोमा धारकों को पदोन्नति से वंचित कर दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। लेकिन तर्क नकार दिया गया ।

21. चंद्रचूड़, जे. (तत्कालीन न्यायाधिपति) ने कहा:

"मामले के तथ्यों पर, प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया गया वर्गीकरण किसी आकस्मिक परिस्थिति पर आधारित नहीं कहा जा सकता है और एक वर्गीकरण की वैधता को निर्णीत करने हेतु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखना होगा।" 1939 के नियमों में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान, अतीत में स्नातकों की कमी और वर्तमान

समय में उनके प्रचुर प्रवाह ऐसे सभी मामले हैं जो वैध रूप से नियम बनाने वाले प्राधिकारी के निर्णय में प्रवेश कर सकते हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में, उस निर्णय को मनमाने या काल्पनिक के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वालों के लिए पदोन्नति के अवसरों को सीमित करके उच्च मानसिक उपकरणों की राह में आने वाली दक्षता को उचित रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है और हम वर्गीकरण की तर्कसंगतता से चिंतित हैं, न कि वर्गीकृत करने के निर्णय की संक्षिप्त सटीकता से और न ही इस सवाल से कि वर्गीकरण वैज्ञानिक है या नहीं। ऐसे परीक्षण लंबे समय से खारिज कर दिए गए हैं। वास्तव में, अमेरिकी फैसलो में यहां तक कहा गया हैं कि वर्गीकरण अमेरिकी संविधान के 14 वें संशोधन के खिलाफ तभी होगा जब यह "विशुद्ध रूप से मनमाना, दमनकारी या मनमौजी" होगा और संविधान की चुनौती का सामना करने के लिए उत्पन्न असमानता "वास्तव में और स्पष्ट रूप से अनुचित और मनमानी" होनी चाहिए। हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वर्गों के स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के बीच मतभेद अलग-अलग व्यवहार के

लिए उचित आधार प्रदान करते हैं और विवादित प्रावधान के उद्देश्य से उचित संबंध रखते हैं।"(जोर दिया गया)

22. श्याम बाबू वर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1994) 2 एससीसी 521, में योग्यता और अनुभव के आधार पर फार्मासिस्टों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किए गए थे। जहां योग्य फार्मासिस्टों के लिए उच्च वेतनमान तय किए गए, वहीं अयोग्य फार्मासिस्टों को कम वेतनमान दिया गया। यह फैसला सुनाया गया कि सरकार योग्यता और अनुभव के आधार पर फार्मासिस्टों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थी। न्यायालय ने कहा कि 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को यांत्रिक या आकस्मिक तरीके से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

23. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम एवं अन्य बनाम संत राज सिंह, (2006) 9 एससीसी 82, में इस न्यायालय ने माना कि शैक्षिक योग्यता वेतनमान में भेदभाव के लिए एक मानदंड हो सकती है। उच्च योग्यता रखना कर्मचारियों की दो श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार माना जा सकता है, भले ही भर्ती के समय ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित न की गई हो। यदि ऐसा कोई भेद किया जाता है, तो कोई शिकायत नहीं की जा सकती कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा या संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) के विपरीत होगा।

24. यह सच है कि 'समान काम के लिए समान वेतन' सेवा न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्थापित एक सिद्धांत है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का सहवर्ती भी है। लेकिन जैसा कि उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम वी. बलराम साहू , (2000) 3 एससीसी 250, में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है। समान वेतन न केवल काम की प्रकृति या मात्रा पर बल्कि विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में काम की गुणवत्ता पर भी निर्भर करेगा और ऐसी विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के आधार पर अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किए जा सकते हैं।

25. अप्रशिक्षित व्याख्याता संघ की ओर से उच्च न्यायालय के साथ-साथ हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि प्रशिक्षित व्याख्याता और अप्रशिक्षित व्याख्याता समान कार्य कर रहे थे और समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। इसलिए, राज्य प्राधिकारियों के लिए उन्हें अलग-अलग वेतनमान देना संभव नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए विवाद को खारिज कर दिया कि, वेतनमान निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था हमारी राय में, यह सही है। इसलिए, वेतनमान निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर वैध और उचित है। हमारे विचार से, प्रशिक्षण के महत्व को नज़रअंदाज़ या कम करके नहीं आंका जा सकता। दुर्भाग्य से, डिवीजन बेंच ने अप्रशिक्षित व्याख्याताओं एसोसिएशन के तर्क को बरकरार रखते हुए और उन्हें प्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए निर्धारित वेतनमान

प्रदान करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

26. अब, आइए प्रशिक्षण की आवश्यकता और अनिवार्यता पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर विचार करें।

27. आंध्र केसरी एजुकेशनल सोसाइटी बनाम स्कूल शिक्षा निदेशक एवं अन्य , (1989) 1 एससीसी 392 मामले में, इस न्यायालय ने स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया। न्यायालय की ओर से बोलते हुए, जे. जगन्नाथ शेट्टी ने निम्नलिखित ज्ञानवर्धक टिप्पणियाँ कीं:

> "मामले से अलग होने से पहले, हमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए। हालांकि नौकरी बाजार में शिक्षण आखिरी विकल्प है, लेकिन औपचारिक शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में शिक्षकों की भूमिका केंद्रीय है। शिक्षक ही छात्रो का कौशल और बौद्धिक क्षमता को सामने ला सकता है। वह शैक्षिक प्रणाली का 'इंजन' है। वह बच्चे को सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागृत करने में एक प्रमुख साधन है। उसे अपेक्षित प्रबुद्ध सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षमता के साथ संपन्न और ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है। उसकी गुणवत्ता एेसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को लाभकारी कार्य करने के

लिए प्रेरित और उत्साहित करेगा। उसे खुद को हमेशा बदलती परिस्थितियों से अवगत रखना चाहिए। उसे दृढ़ और अकल्पनीय तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उसे विघटनकारी प्रवृत्तियों और दृष्टिकोणों को खत्म करना होगा और युवाओं के दिमाग में महान और राष्ट्रीय विचारों को डालना होगा। राष्ट्रीय एकीकरण में भागीदारी अधिक महत्वपूर्ण है, वास्तव में अपरिहार्य है। इसलिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षकों को दक्षता की कठोर जांच के साथ कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज की जरूरतों के लिए इसकी अधिक प्रासंगिकता है। कम प्रशिक्षित या निम्न-मानक शिक्षक हमारी शैक्षिक प्रणाली के लिए हानिकारक होंगे; अगर हमारे बच्चों पर सज़ा नहीं है। इसलिए, सरकार और विश्वविद्यालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में अपर्याप्तता किसी भी बाहरी विचार से न बढ़े।"(जोर दिया गया)

28. राम सुख एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (1989) अनुपूरक (2) एससीसी 189, में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया।कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ता भी शिक्षक थे और उनकी सेवाएं केवल इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकतीं कि प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध थे।

यह भी आग्रह किया गया कि यदि ऐसा प्रशिक्षण आवश्यक हो तो भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे प्रशिक्षण से गुजरने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून की अदालत सरकार को अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक सेवा में जारी रखने का निर्देश नहीं दे सकती है।

29. आंध्र केसरी एजुकेशनल सोसाइटी के न्यायिक दृष्टान्त का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा:

> "ये टिप्पणियाँ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं जिनके साथ हम चिंतित हैं। प्रारंभिक वर्षों में बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का अत्यधिक महत्व है। बच्चे को केवल अक्षर और अंक सिखाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाल मनोविज्ञान और योग्यताओं को समझने की आैर भी आवश्यकता है। उन्हें पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही उनका उचित नेतृत्व कर सकते हैं। अप्रशिक्षित शिक्षक कभी भी प्रशिक्षित शिक्षकों का उचित विकल्प नहीं हो सकते। इसलिए, हम याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने में असमर्थ हैं। "(जोर दिया गया)

30. एल. मुथुकुमार एवं अन्य बनाम टीएन राज्य एवं अन्य , (2000) 7 एससीसी 618, में इस न्यायालय ने कहा कि केवल सार्वजनिक परीक्षा उत्तीर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है। इसे किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में उचित प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

31. पहले के मामलों से अनुमोदन टिप्पणियों का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने कहा;

> "हमारी सुविचारित राय है कि शिक्षकों को मासूम बच्चों को पढ़ाने की अनुमति देने से पहले, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए उचित और पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, अन्यथा बच्चों की शिक्षा का स्तर और करियर खतरे में पड़ जाएगा। अधिकांश सभ्य और उन्नत देशों में, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक का काम महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है क्योंकि युवा दिमागों का निर्माण प्राथमिक विद्यालयों में शुरू होता है। गैर-मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से आने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को अनुमति देना या उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्धारित मानदंडों के विपरीत लाइसेंस देना राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक होगी, इस अर्थ में कि एक महान राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में,

शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे मामलों में, व्यक्तियों का हित व्यापक सार्वजनिक हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता या प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।"(जोर दिया गया)

32. हमारे फैसले में, कानून अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रतीत होता है। प्रशिक्षित शिक्षक (व्याख्याता) और अप्रशिक्षित शिक्षक (व्याख्याता) के बीच स्पष्ट अंतर है। ऐसा भेद कानूनी, वैध, तर्कसंगत और उचित है। इसलिए, प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को न तो समान परिस्थिति वाला कहा जा सकता है और न ही वे एक ही वर्ग के होते हैं। वर्गीकरण उचित है और समझदार अंतर पर आधारित है जो इसमें शामिल एक वर्ग (प्रशिक्षित) को दूसरे वर्ग (अप्रशिक्षित) से अलग करता है जिसे छोड़ दिया गया है। इस तरह के वर्गीकरण या विभेदीकरण का उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध या उचित संबंध होता है जिसे हासिल करना है, अर्थात छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। इसलिए, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एक ओर प्रशिक्षित व्याख्याताओं और दूसरी ओर अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान तय नहीं किए जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारक अवैध, अनुचित या अयुक्तियुक्त अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है।

33. एकल न्यायाधीश के समक्ष और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष भी यह तर्क दिया गया कि अपीलीय फिटमेंट समिति ने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए समान वेतनमान की सिफारिश की थी। दलील इस आधार पर दी गई थी कि जब +2 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो केवल इस बात पर जोर दिया गया था कि उम्मीदवार के पास कक्षा II में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकता 'पात्रता' से संबंधित है और इसका वेतनमान से कोई संबंध नहीं है। हालाँकि, डिवीजन बेंच की राय थी कि उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी चीज़ के अभाव में, अधिकारियों द्वारा कोई अलग वेतनमान प्रदान नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश यह मानने में पूरी तरह से सही थे कि विज्ञापन में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता तक ही सीमित थी और इसका वेतनमान तय करने से कोई लेना-देना नहीं था।

34. उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी आग्रह किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी जिसने निर्णय लिया था और आम तौर पर ऐसे निर्णय में कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

35. जहां तक सिद्धांत का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हालाँकि, मौजूदा मामले में, डिवीजन बेंच प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को समान वेतनमान देने के लिए उक्त सिद्धांत को लागू करने में गलत थी। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि राज्य सरकार द्वारा एक फिटमेंट समिति नियुक्त की गई थी जो एक 'विशेषज्ञ समिति' थी। उस समिति ने प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच स्पष्ट अंतर किया।

36. फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा; "हम अनुशंसा करते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रशासन में उपलब्ध प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने की प्रणाली को बंद करना होगा और पैटर्न में केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों दोनों स्तरों पर सीधी भर्ती की जाती है, उसे अपनाना होगा। 1.1.1986 से लागू बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदोन्नति नियमावली, 1993 को केंद्र में जो प्रचलित है उसके अनुरूप संशोधित करने और लाने की आवश्यकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में दिनांक 29.4.97 के एक आदेश के अनुसार पीआरटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी तक पदोन्नति कोटा 33.3% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह दिल्ली प्रशासन की प्रणाली या पैटर्न, अगर केंद्रीय वेतनमान लागू करना है तो बिहार में अपनाना होगा।"

37. फिटमेंट अपीलीय समिति उपरोक्त टिप्पणियों से सहमत हुई और कहा; "यह समिति फिटमेंट समिति के विचारों से सहमत है। इस राज्य में शिक्षा मानकों में काफी गिरावट आई है। इसमें और गिरावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

38. हालाँकि, अपीलीय समिति ने एक और केवल एक ही परिस्थिति पर दृढ़ता से भरोसा किया कि चूंकि विज्ञापन में प्रशिक्षण के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए राज्य द्वारा अलग-अलग वेतनमान निर्धारित नहीं किए जा सकते थे।

39. पैराग्राफ 31.49 में, अपीलीय समिति ने कहा:-

> "फिटमेंट कमेटी का काम केंद्रीय पदों के साथ समकक्षता स्थापित करना और तदनुसार वेतनमान की सिफारिश करना था। स्नातकोत्तर +2 व्याख्याताओं के मामले में केंद्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद के साथ एक स्पष्ट समानता उपलब्ध थी। इसलिए, यह एक मामला है जहां समकक्षता के सटीक निर्धारणकर्ताओं के बारे में बहुत कम संदेह हो सकता है। यह तर्क कि दिल्ली में वे नौवीं और दसवीं कक्षा को भी पढ़ाते हैं, बहुत कमजोर है। इसके अलावा, यदि दिल्ली में ऐसे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

आवश्यक है, जिनका सभी मानकों के अनुसार बिहार में उनके समकक्ष की तुलना में बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड है - तो यह बिहार में शिक्षकों के लिए और भी अधिक आवश्यक है। फिटमेंट समिति केंद्रीय समकक्ष के अनुसार चली गई है, 6500-10500 रुपये का वेतनमान केवल प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इसलिए, अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए इस पैमाने की सिफारिश नहीं कर सकती थी। हालाँकि, इस समिति का मानना है कि यह आधार कि मूल विज्ञापन में आवश्यक योग्यता के रूप में "प्रशिक्षण" की आवश्यकता नहीं थी, बहुत प्रासंगिक है क्योंकि बाद की तारीख में ऐसी शर्तों को लागू करना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है और वर्तमान पदधारियों को, 6500-10500 रुपये के उच्च वेतनमान देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वे अप्रशिक्षित हों।" (जोर दिया गया)

40. हमें डर है कि फिटमेंट अपीलीय समिति का दृष्टिकोण कानून के अनुरूप नहीं था। यदि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच अंतर है और यदि ऐसा वर्गीकरण उचित और तर्कसंगत है, तो प्रशिक्षित व्याख्याताओं और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है और अपीलीय समिति के पास फिटमेंट समिति एवं राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न

होने का कोई कारण नहीं है। । विज्ञापन को, एकल न्यायाधीश के मतानुसार पात्रता मानदंड के रूप में पढ़ा जा सकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। उस प्रकार से विज्ञापन को पढ़ने से अप्रशिक्षित व्याख्याताओं की नियुक्ति और उन्हें सेवा में बनाए रखने के साथ-साथ प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान तय करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता था। दुर्भाग्य से, डिवीजन बेंच फिटमेंट कमेटी द्वारा व्यक्त और राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए गए विचारों की उचित सराहना करके विज्ञापन और वेतनमान के निर्धारण में सामंजस्य स्थापित करने में विफल रही।

41. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप आम तौर पर डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द करके और राज्य सरकार की कार्रवाई को बरकरार रखने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल करके अपील की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम मुख्य रूप से दो कारणों से संविधान के अनुच्छेद 136 सपठित अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द करने के लिए राजी नहीं हैं;

42. सबसे पहले, जब राज्य सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपीलीय फिटमेंट समिति नियुक्त की गई थी और मामले को प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के

वेतनमान में विसंगति के संबंध में संदर्भित किया गया था, तो संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार समिति की अनुशंसा को स्वीकार करेगी और समिति ने प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को एक समान वेतनमान देने की अनुशंसा की है.

43. दूसरे, अप्रशिक्षित व्याख्याता संघ (रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर शपथ पत्र में कहा गया था कि फिटमेंट अपीलीय समिति की रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार ने 22 जनवरी 2001 को अपना पूर्व आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2000 को इस आधार पर वापस ले लिया कि अप्रशिक्षित व्याख्याताओं (इन-सर्विस उम्मीदवारों) को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजने के लिए समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर ऐसा कोई प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं था और जब प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं को एक समान वेतनमान दिया जाना था।

44. उपरोक्त कारणों से, यद्यपि हमारा दृढ़ मत है कि पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह मानना सही नहीं था कि एक ओर प्रशिक्षित व्याख्याताओं और दूसरी ओर अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के बीच कोई अंतर नहीं है। और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्याख्याताओं के लिए कोई अलग वेतनमान निर्धारित नहीं किया जा सकता है और वेतनमान का ऐसा निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, और यद्यपि हम मानते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित

व्याख्याताओं के बीच वर्गीकरण को तर्कसंगत ठहराने में सही, उचित और समझदार थे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम ऊपर उल्लिखित दो परिस्थितियों के आलोक में डिवीजन बेंच द्वारा जारी अंतिम निर्देश में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील खारिज की गई।

टिप्पणीः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमति बबीता वर्मा आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।